राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1831/2013
नरेन्द्र जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महा निरीक्षक, सीआईडी (सीबी) राजस्थान, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावे कि वर्ष 2009–10 की 40 रिक्तियां, वर्ष 2010–11 की 36 रिक्तियां तथा वर्ष 2011–12 की 31 रिक्तियां जो कि निरीक्षक के पद की है, को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों की पुनः गणना की जाकर योग्यात्मक परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर पुनः परिणाम घोषित किया जाए। यह भी प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी द्वारा योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण वर्ष 2011–12 की योग्यता सूची के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ व समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 में उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गयी है। चूंकि अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपील में चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है। अतः अपील निष्फल हो चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो चुका है। ऐसे में अपील निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)